# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 04/2021 (अपील नामा)
GCMS No. 2021/27

***अनवान***

1. श्री लाता पिता नेता पारगी, निवासी गऊपीपला, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती करमी पुत्री नेता पारगी, निवासी गऊपीपला, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर (राज.)

— अपीलान्ट्स

***बनाम***

1. श्री भुणा पिता नेता गमार, निवासी गऊपीपला, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती बजी पिता नेता गमार, निवासी गऊपीपला तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर।
3. श्रीमती दीपी पुत्री नेता गमार, निवासी गऊपीपला, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर।
4. श्री अनिया पिता जेठा पारगी, निवासी गऊपीपला, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर।
5. श्री मेहला पिता केहरा पारगी, निवासी गऊपीपला, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर।
6. श्री कालिया पिता केहरा पारगी, निवासी गऊपीपला, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर।
7. श्री कुका पिता केहरा पारगी, निवासी गऊपीपला, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर।
8. सरकार जरिये तहसीलदार कोटड़ा, जिला उदयपुर।

— रेस्पोडेन्ट्स

***उपस्थित***

1. श्री सुरेश चन्द्र त्रिवेदी, अधिवक्ता अपीलान्ट्स
2. श्री कल्पित जैन, राजकीय अधिवक्ता

***अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956***
***अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 235 तहसीलदार कोटड़ा, आदेश दिनांक 25.01.2006***

## * निर्णय *

दिनांक— 16-02-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 25.01.2006 तहसीलदार कोटड़ा प्रस्[illegible] निवेदन किया कि राजस्व ग्राम गऊपीपला, पटवार हल्का बड़ली, भू अभिलेख नि[illegible]क क्षेत्र कोटड़ा, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर मे खाता संख्या 89 व 90 मे अंकित आराजीयात अपीलान्[illegible] रेस्पोडेन्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.02.18 10:43:51 IST
Reason: SelfAttested

संख्या 4 से 7 के आधिपत्य मे होकर कब्जे काश्त चली आ रही है तथा आज भी अपीलान्ट्स अपने पिता के समय कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। राजस्व ग्राम गऊपीपला, तहसील कोटड़ा मे नेता नाम के दो आदमी रहते थे तथा उनके खाते भी अलग अलग थे लेकिन अपीलान्ट्स के पिता नेता की मृत्यु दिनांक 27.01.2017 को व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता नेता की मृत्यु सन् 2006 के एक वर्ष पहले के अन्तराल मे हो गयी थी। सन् 2006 मे राजस्थान सरकार द्वारा विशेष अभियान प्रशासन गांव के संग चलाये गये थे। नामान्तरकरण संख्या 235 राजस्थान सरकार द्वारा विशेष अभियान प्रशासन गांव के संग मे खोला गया, जिसके तहत नेता की मृत्यु पर अपीलान्ट्स का नाम अंकित होने के बजाय रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम की प्रविष्ट नामान्तरकरण मे सवहन से कर दी गई। तदनुसार राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी मे भी प्रविष्टि हो गई। ऐसी स्थिति मे उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना आवश्यक है। नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने के पश्चात राजस्व रेकर्ड मे प्रविष्टि दर्ज करते समय चूक हो गई एवं पूंजी नाम की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 की कोई बहन नही है इसलिए उक्त प्रविष्टि को हटाया जाना भी न्याय संगत होगा। अतः अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 25.01.2006 मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 का नाम हटाया जाकर अपीलान्ट्स के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 के नाम जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हो जाने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 स्वयं अथवा उनका कोई अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिन नही हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कल्पित जैन द्वारा उपस्थिति दी गई। प्रकरण मे सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट्स अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 के नाम जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हो जाने के बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 7 स्वयं अथवा उनका कोई अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित नही होने से प्रकरण मे अपीलान्ट्स अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस प्रांरभ करते हुए अपीलान्ट्स अधिवक्ता ने अपनी अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अनुरोध किया कि तहसीलदार कोटड़ा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 25.01.2006 त्रुटिपूर्ण खोला गया है। नामान्तरकरण संख्या 235 मे वर्णित खाता संख्या 63 मे अंकित भूमि मे मृतक नेता पिता जेठा पारगी के अपीलान्ट्स ही विधिक वारिस है, किन्तु समान नाम हो जाने से खाता संख्या 65 की भूमि के साथ साथ कथित भूमि खाता संख्या 63 भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम त्रुटि[illegible] हुई है। अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान अपीलान्ट्स के पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र सलंग्न करते हुए यह भी निवेदन किया कि उनके पिता का निधन दिनांक 27.01.2017 को हुआ है, जबकि कथित

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.02.18 10:43:51 IST
Reason: SelfAttested

नामान्तरकरण 25.01.2006 को मृत्यु से पूर्व ही खोल दिया गया हैं। उक्त नामान्तरकरण मे भी अपीलान्ट्स की भूमि मात्र खाता संख्या 63 मे अंकित आराजी संख्या 5/2 रकबा 14बीघा 19 बिस्वा ही हैं एवं वहीं भूमि अपीलान्ट्स अपने नाम दर्ज कराना चाहते हैं। ऐसी स्थिति मे उक्त नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर कथित नामान्तरकरण मे आंशिक संशोधन कर अपीलान्ट्स की भूमि पुनः अपीलान्ट्स के नाम दर्ज करायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस मे भाग लेते हुए अनुरोध किया कि राजस्व ग्राम गऊपीपला, पटवार हल्का बड़ली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोटड़ा, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर के नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 25.01.2006 नेता पिता जेठा गमेती की मृत्यु हो जाने से नेता पिता जेठा गमेती के वारिसों के पक्ष मे खोला जाना अवगत कराया।

प्रकरण मे अपीलान्ट्स अधिवक्ता एवं राजकीय अभिभाषक को सुना गया। पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील, नामान्तरकरण की प्रति एवं अन्य दस्तावेज आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 25.01.2006 की प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्व ग्राम गऊपीपला, पटवार हल्का बड़ली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोटड़ा, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर के खाता संख्या 63 एवं 65 मे अंकित खातेदार नेता पिता जेठा की मृत्यु के उपरान्त तहसीलदार द्वारा कथित नामान्तरकरण पारित किया हैं। प्रकरण मे विवाद सम्पूर्ण नामान्तरकरण का न होकर उक्त नामान्तरकरण मे अंकित खाता संख्या 63 का हैं, जिसे अपीलान्ट्स द्वारा उनके पिता की होना अवगत कराया गया हैं। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत उनके पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार उनके पिता का स्वर्गवास 27.01.2017 को होना पाया गया है, किन्तु कथित नामान्तरकरण 25.01.2006 को मृत्यु से पूर्व ही खोला जाना परिलक्षित होता हैं। अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपीलान्ट्स के परिवार के जनाधार कार्ड की छायाप्रति अनुसार भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 उनके परिवार के सदस्य सूची मे शामिल नहीं हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण प्रथम दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण होना परिलक्षित होने से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटड़ा द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 25.01.2006 मृतक का समान नाम होने से पुनः जांच किये जाने योग्य पाया जाता है एवं ऐसे नामान्तरकरण को निरस्त कर पुनः जांच उपरान्त नवीन सिरे से खोले जाने हेतु तहसीलदार को प्रति प्रेषित करना हम उचित समझते है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 आंशिक स्वीकार की जाकर राजस्व ग्राम गऊपीपला, पटवार हल्का बड़ली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोटड़ा, तहसील कोटड़ा, जिला उदयपुर का अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटड़ा द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.02.18 10:43:51 IST
Reason: SelfAttested

25.01.2006 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार कोटड़ा को प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि हमारे द्वारा दिये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को ध्यान मे रखते हुए उभय पक्ष को सुन कर, साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, मृतक के विधिक वारिसान की नियमानुसार जांच कर नामान्तरकरण के संबध मे विधि सम्मत नवनिर्णय पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

**(ओ.पी.बुनकर)**
**अतिरिक्त जिला कलक्टर**
**उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.02.18 10:43:51 IST
Reason: SelfAttested